ई-डिस्ट्रिक्ट के अन्तर्गत जारी..



उत्तर प्रदेश शासन

उत्तर प्रदेश के पिछड़ी जाति के लिए जाति प्रमाण पत्र

जिला तहसील आवेदन क०

प्रमाणपत्र क०

मुजफफरनगर जानसठ

231330030046653 025233005911 जारी दिनांक: 27/07/2023

प्रमाणित किया जाता है कि

पुत्र/पुत्री माता का नाम निवासी ग्राम तहसील यादी चौधरी/YADI CHOUDHARY

हरेन्द्र अन्ज् ,रहकडा 12 रहकडा 12 जानसठ

मुजफफरनगर

उत्तर प्रदेश राज्य की <u>जाट</u> जाति के व्यक्ति हैं। यह उत्तर प्रदेश लोक सेवा अनुसूचित जातियों अनुसूचित जन जातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण अधिनियम १९९४ की अनुसूची एक के अन्तर्गत मान्यता प्राप्त है।

यह भी प्रमाणित किया जाता है कि **यादी चौधरी/YADI CHOUDHARY** पूर्वोक्त अधिनियम १९९४ (यथा संशोधित) की अनुसूची २ (जैसा कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा)अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जतज्ञातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण (संशोधन) अधिनियम २००१ द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है एंव् जो उ०प्र० लोक सेवा अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण (संशोधन) अधिनियम २००२ एवं शासनादेश संख्या 22/16/92 टी० सी०-॥। दिनौंक २० अक्टुबर २००८ द्वारा संशोधित की गई है, से आच्छादित नहीं है।इनके माता-पिता की निरन्तर तीन वर्षों की अविध के लिये सकल वार्षिक आय आठ लाख रुपये या इससे अधिक नहीं है तथा इनके पास धन कर अधिनियम १९५७ में यथा विदिष छूट सीमा से अधिक

जारी कर्ता केन्द्र: राज कुमार पाठक, वयम जन सेवा केंद्र SANJAY SANAY SAN

स्थान : रहकदा १२,जानसठ,रहकडा 12,मोरना 12.जानसठ

दिनॉक: 27/07/2023

सक्षम अधिकारी/तहसीलदार डिजिटल हस्ताक्षरित जानसठ, मुजफफरनगर दिनॉक: 27/07/2023

हस्ताक्षर एवं मुहर यह प्रमाण पत्र इलेक्ट्रॉनिक डिलिबरी सिस्टम द्वारा तैयार किया गया है तथा डिजिटल सिग्नेचर से इस्ताक्षरित है। सम्बन्धित केन्द्र के अधिकृत कर्मी द्वारा प्रमाणित किया गया है। यह प्रमाण पत्र वेबसाइट http://edistrict.up.gov in पर इसका पहले आवेदन क० फिर प्रमाणपत्र क० अधित कर सन्वापित किया जा सकता है।